

372

480

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर शृंखला न्यायालय रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)



M 301-

R 5076 III 117

गोविन्द प्रसाद मिश्रा तनय रामकैलाश मिश्रा, उम्र- 53 वर्ष, निवासी ग्राम- अमला टोला, तहसील- मझौली, जिला- सीधी (म.प्र.)

— मिश्राजीकृत आवेदक

बनाम

1. नारायण प्रसाद मिश्रा तनय कैलाश राम उम्र- 46 वर्ष, निवासी ग्राम- विजयपुर, तहसील- सिहावल, जिला- सीधी (म.प्र.)
2. म0प्र0 शासन

— मिश्राजीकृत अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार, तह0- मझौली, जिला- सीधी (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्रमांक- 103/ए-19(2)/1986-87 आदेश

दिनांक- 10.03.1987

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

गोविंद अग्रभाषक
श्री शंकरेश्वर प्रसाद त्रिपाठी
धारा पेशा 22-2-17

22-2-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निम्नांकित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन पेश है:-

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य

1. यह कि ग्राम- अकला टोला, तह0- मझौली, जिला- सीधी स्थित भूमि पुराना खसरा क्रमांक- 257 रकवा 3.00 एकड़ म0प्र0 शासन की स्वामित्व की भूमि थी जिस पर सन् 1980-81 के पूर्व से तारकेश्वरी नामक व्यक्ति काश्तकारी कर रहे थे सन् 1982-83 में तारकेश्वरी, 2.00 एकड़ पर अमीरे व छोटकू कुम्हार 1.00 एकड़ रकवे पर काश्तकारी कई वर्ष तक करते रहे। उक्त आराजी ग्रामवासियों के निकार, निस्तार की भी आराजी है जो रिजर्व फारेस्ट से लगी हुई है इस आराजी के किसी भी भाग पर अनावेदक क्रमांक- 1 का कब्जा दखल न था, न है साथ ही वर्ष 1986-87 में अनावेदक

— मिश्राजीकृत


372

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग05076 / II / 2017

जिला-सीधी

गोविन्द प्रसाद / नारायण मिश्रा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शंकेश्वर प्रसाद तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, तहसील मझौली के प्रकरण क्रमांक 103/अ-19(2)/1986-87 में पारित आदेश दिनांक 10.03.1987 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	